IV 15/2018
IV 15/18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 274861

श्री मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत चैरिटेबिल ट्रस्ट, तरगुंवा तालबेहट उ.प्र.

का संविधान

1- ट्रस्ट का नाम : श्री मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत चैरिटेबिल ट्रस्ट तरगुंवा, तालबेहट उ.प्र.

2- उद्देश्य : 1— प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक, औद्योगिक, तकनीकी कृषि, आध्यात्मिक तथा शारीरिक शिक्षा का प्रसार करना।

2— शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना

3— नारी शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना व लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या पूर्णरूप से रोके जाने हेतु सदैव प्रयासरत रहना।

CHRawat

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 274860

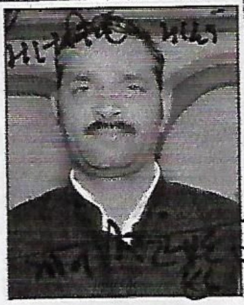

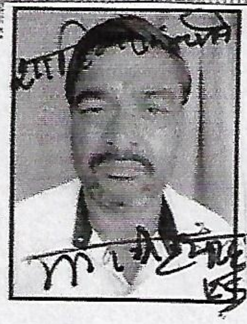

4— समय—समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार प्रशिक्षण शिविरों आदि का आयोजन कर सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह, दहेज प्रथा, अन्ध विश्वास एवं मृत्युभोज के उन्मूलन हेतु कार्य करना।

5— युवक/युवतियों का मादक पदार्थों के सेवन से रोकना एवं नशाखोरी के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।

6— मानव के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए व्यायामशाला क्रीडाकेन्द्र व योग साधना केन्द्रों की स्थापना कर उनका संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 274857

7– महिलाओं, बच्चों, निराश्रितों, वंचित व असहाय व्यक्तियों के कल्याण हेतु आश्रम की स्थापना करना एवं उनको सहारा देना।

8– जनसूचना अधिकार, मानवाधिकार के क्षेत्र में जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न कर उनको अधिकारों के प्रति सजग कर जानकारी प्रदान करना

9– प्रान्तीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता लेना और उनके दिशा निर्देशों पर कार्यक्रमों का संचालन करना।

10– बाल श्रम उन्मूलन एवं बन्धुआ मजदूरों का मुक्ति अभियान चलाना एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865124

11–विश्व के सभी महान पुरूषों के मिशन, सिद्धान्तों, दर्शन व विचारों का प्रचार–प्रसार करना।

12–पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना एवं प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकार से मदद लेना तथा वनौषधी उत्पाद, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण करना।

13–महिलाओं को स्वालम्बी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,कताई व दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं निशुल्क प्रशिक्षण देना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865123

14—छात्रावासों, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना तथा पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना।

15—ऐसे सभी कार्य करना जो सोसाइटी / ट्रस्ट रजिस्ट्रेकशन अधिनियम 1860 का धारा 20 के अनुसार आवश्यक एवं जनहित में हो।

3- कार्य क्षेत्र :— सम्पूर्ण भारत वर्ष

4- प्राक्कथन :— मैं हरिश्चन्द्र रावत पुत्र स्व. श्री मुन्नालाल रावत निवासी सरफयाना, तालबेहट जिला ललितपुर तथा अपनी स्वेच्छा एवं पवित्र भावना से प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु जिसका कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक अभाव है। हम

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865125

प्राथमिक / माध्यमिक / महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और इस हेतु अपने परिवार के सहयोग से 1,00,000 रूपये की धनराशि इस पवित्र कार्य के लिए इस ट्रस्ट को सौंप रहे हैं जिसके हेतु स्मृति पत्र में वर्णित 11 सदस्य ट्रस्टीज के रूप में मनोनीत करते हैं। उपरोक्त 11 सदस्य उपरलिखित सम्पति के सदैव के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं अधिकारों के साथ ट्रस्टी रहेंगे।

1— इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था का नाम श्री मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत विद्यालय / इण्टर कालेज, महाविद्यालय / तकनीकी कालेज रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865126

2— इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था का उद्देश्य इस भूभाग के बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास करना होगा जिससे वे इस देश के सुयोग्य नागरिक बन सकें।

3— इस ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की सम्पत्ति को उपरलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित कर सकें। प्रतिबन्ध यह होगा कि इन उद्देश्यों के अतिरिक्त यह सम्पत्ति न तो अन्य कार्य में व्यय की जा सकती है और न अन्यथा नियोजित की जा सकती है।

4— यह ट्रस्ट उपरलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान ग्रहण करने के लिए अधिकृत रहेगा।

5— मैं हरिश्चन्द्र रावत पुत्र स्व. श्री मुन्नालाल रावत निवासी सरफयाना, तालबेहट इस ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष रहूंगा। हम यह भी अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि यदि हम चाहें और

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865127

परिस्थितियाँ हो तो अपने जीवनकाल में ही आवश्यकतानुसार अपने उत्तराधिकारी को अपने पद पर वर्तमान अथवा भविष्य अथवा दोनों के लिए मनोनीत स्वेच्छानुसार कर सकेंगे।

6– पदाधिकारी एवं निर्वाचन- ट्रस्ट में अध्यक्ष के अलावा प्रबन्धक / मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के तीन अन्य पद होंगे जिनको 5 वर्ष के लिए ट्रस्ट के सदस्य साधारण बहुमत से गुप्तदान प्रणाली द्वारा निर्वाचित करेंगे।

7– किसी ट्रस्टी की गम्भीर शारीरिक अक्षमता, मानसिक विकृति, त्याग--पत्र एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण सिद्ध होने की स्थिति में, इनमें से किसी एक या एकाधिक होने पर ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ट्रस्ट की सदस्यता से वंचित कर सकते हैं।

8– ट्रस्ट के रिक्त स्थान की पूर्ति बहुमत से होगी। प्रतिबन्ध यह है कि बहुमत ट्रस्ट की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865128

9— समान मतदान होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

10— ट्रस्ट की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी जिसमें अन्य कार्यों के साथ पूरे वर्ष का आय–व्यय का ब्यौरा लेखा निरीक्षक से निरीक्षित कराकर कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

11— ट्रस्ट की सभी बैठकों को अध्यक्ष आहूत करेगा। अध्यक्ष के लिए यह भी मान्य होगा कि यदि ट्रस्ट के आधे से अधिक सदस्य बैठक बुलाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तो वह ट्रस्ट की बैठक बुलायें।

उन विशेष उपबन्धों को छोड़कर जिनका वर्णन आलेख के अनुच्छेट 8 व 9 में किया गया है, ट्रस्ट की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होगी।

12— इन आलेख में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित संस्था श्री मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद चैरिटेबिल ट्रस्ट तरगुंवा, तालबेहट उ.प्र प्रबन्धन हेतु यह ट्रस्ट प्रत्येक 5 वर्ष के लिए सभी संस्थाओं की अलग–अलग प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा। जिसके लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार भी ट्रस्ट को होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 865129

इस काल में भी प्रबन्धकारिणी समिति को संस्था के विरूद्ध आचरण एवं कुशासन के आरोप सिद्ध होने पर ट्रस्ट अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर नई प्रबन्धकारिणी समिति का गठन नियमानुसार सम्पन्न करेगा एवं नई प्रबन्धकारिणी समिति का गटन होने के पहले अन्तरिग काल में संस्था के समस्त प्रबन्ध की व्यवस्था किसी एक ट्रस्टी अथवा इसके कुछ ट्रस्टियों की उप समिति बनाकर करेगा।

13-- ट्रस्टियों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यदि कोई ट्रस्टी विवाद को न्यायालय में ले जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक संस्था के संचालन का अधिकार अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं किया जा सकता है।

14-- ट्रस्ट की पूंजी या सम्पत्तियों का विनियोजन प्राधिकृत बैंक के सावधि अथवा बचत खातों में तथा रिजर्व बैंक के हिस्सों में किया जावेगा। यह कार्य अध्यक्ष तथा मंत्री/प्रबन्धक तथा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 865130

कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा, किन्तु आहरण किन्ही दो के हस्ताक्षर से किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

15– **प्रबन्ध समिति की संरचना, कार्य एवं अधिकार** :–

प्रबन्ध समिति का गठन– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी जिसमें निम्न प्रकार से निर्वाचित होकर सदस्य रहेंगे।

1– 05 (पाँच) सदस्य ट्रस्ट अपने सदस्यों में से निर्वाचित करेगी।

2– ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के प्राचार्य पदेन सदस्य रहेंगे।

3– ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं में शासन के नियमों के अनुसार पदेन सदस्य होंगे।

4– शेष बची हुई सदस्य संख्या ऐसे दानदाताओं में से निर्वाचित होकर आयेगी जो इस संस्था महाविद्यालयों को रूपया 1,00,000 या उससे अधिक की धनराशि एकमुश्त दान देंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा दानदाता को उसके जीवन पर्यन्त ही उपलब्ध होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 862241

16— पदाधिकारी :—

1— अध्यक्ष

2— उपाध्यक्ष

3— मंत्री—प्रबन्धक

4— कोषाध्यक्ष

17— प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य एवं अधिकार :—

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 862242

1— प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक प्रति 6 माह में एक बार अनिवार्यतः आहुत की जावेगी, जिसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व प्रसारित की जायेगी। आवश्यक बैठक केवल तीन दिन की पूर्व सूचना आहूत की जा सकती है। बैठक की पूर्व सूचना के साथ कार्य सूची आवश्यक होगी।

2— प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के निकट की बैठक में पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा समिति के निर्वाचित लेखा निरीक्षक द्वारा निरीक्षित अवश्य ही प्रस्तुत किया जायेगा तथा आगामी वर्ष का आय व्यय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त लेखाओं का निरीक्षण करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को होगा। प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा पारित होने पर आय–व्यय अनुमोदनार्थ ट्रस्ट में रखा जावेगा। ट्रस्ट के द्वारा अनुमोदित होने पर ही वार्षिक आय– व्यय पारित हुआ समझा जावेगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के कोष का नियोजन :—

3—(क) 1— सरकारी प्रतिभूतियों में

2— अचल सम्पत्ति में

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 862245

3– बैंकों में सावधि खाते में (फिक्सड डिपोजिट्स)
4– रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के हिस्सा पूंजी में
5– किसी बैंक के बचत खाते में

(ख) – धन संग्रह करना

(ग) – संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यय करना

(घ) – प्रबन्धकारिणी समिति के अभिलेखों की व्यवस्था रखना एवं वार्षिक रिपोर्ट को सदस्यों के समक्ष उपस्थित करना

(ड.) – संस्था के सावधि खाते से ऋण लेना

(च) – शासन से प्राप्त अनुदानों का निर्दिष्ट नियमों के अनुसार नियोजन की व्यवस्था करना

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 866879

4— उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति अपने सदस्यों में से नियुक्ति एव अर्थ— उपसमितियों का गठन करेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य उप— समितियों के गठन का अधिकार भी प्रबन्धकारिणी समिति को रहेगा।

5— प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/3 गणपूर्ति आवश्यक होगा। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के अनन्तर आहूत बैठक के लिए गणपूर्ति का प्रतिबन्ध शिथिल समझा जायेगा।

6— कार्य सूची के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भी अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य रख सकेगा किन्तु ऐसा प्रस्ताव कम से कम एक अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

7— संस्थाओं के शिक्षक एवं लिपिक मण्डल/ मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति निलम्बन एवं निष्कासन प्रबन्धकारिणी समिति शासन के नियमानुसार करेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 866873

प्रबन्धकारिणी समिति अपने प्रस्ताव द्वारा प्राचार्य की, प्राचार्य की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष की तथा प्राचार्य से विचार विमर्श कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर संस्था के किसी प्राध्यापक के विश्वविद्यालय के आचार संहिता, नियम तथा उपनियमों के अनुसार नियुक्ति, स्थायीकरण, निलम्बन तथा निष्कासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही जो इनके विषय में उचित हो, कर सकती हैं।

संस्थाओं के अन्य कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में प्राचार्य को अधिकार प्राप्त है) की नियुक्ति, निलम्बन तथा निष्कासन का अधिकार प्राचार्य की संस्तुति पर प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। प्रबन्धकारिणी समिति अपने इस अधिकार को प्रस्ताव द्वारा प्रबन्धक को हस्तान्तरण कर सकती है और प्रबन्धक द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किये जाने पर दण्ड सम्बन्धी उसके निर्णयों की अपील उसके माध्यम से प्रबन्धकारिणी समिति सुनेगी तथा निर्णय देगी।

Chawat

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 866874

18— संस्थाओं की प्रबन्धकारिणी समिति के विधान में परिवर्तन, बिना ट्रस्ट के अध्यक्ष की पूर्वानुमति के सम्भव न होगा।

19— संस्था से सम्बन्धित सभी विवाद और उन पर सभी प्रकार की न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाहियां जो संस्था की ओर से या संस्था पर की गई हों, साधारणतया मंत्री–प्रबन्धक के नाम से होगीं। विशेष आवश्यकता पर इस कार्य के लिए प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा मनोनीत सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकेंगी।

20— प्रबन्धकारिणी समिति का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के अनुबन्ध अथवा प्रबन्धकारिणी समिति के साथ किसी भी प्रकार का लेन–देन जो आर्थिक उपलब्धी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्धित हो तथा किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या अन्य प्रकार का भुगतान उसके द्वारा सम्पादित महाविद्यालय अथवा ट्रस्ट के किसी कार्य के लिए हो, किसी व्यवसायिक या अन्य किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 862244

21– उ0प्र0 शासन द्वारा संस्थाओं को मान्यता प्राप्त होगी, अतः समय– समय पर निर्धारित नियम, प्रबन्धकारिणी समिति को पूर्ण रूपेण मान्य होंगे।

22– श्री मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद चैरिटेबिल ट्रस्ट तरगुंवा, तालबेहट उ.प्र एवं प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों को संस्था के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

23– ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार के लिए गये अनुबन्ध एवं आलेख अध्यक्ष तथा मंत्री– प्रबन्धक द्वारा उनकी मुहर सहित हस्ताक्षरित होंगे।

24– **अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार :–**

1– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा

2– प्रबन्धकारिणी समिति में संस्था के हित सम्बन्धी सभी प्रस्तावों का मत लेगा एवं निर्णयों को मंत्री– प्रबन्धक द्वारा क्रियान्वित करायेगा।

3– संस्था के सभी कार्योपर नियन्त्रण एवं देखरेख करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 862243

4– समान मत विभाजन पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

5– प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने का लिखित प्रतिवेदन आने पर अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक आहूत करेंगे।

6– समय–समय पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दिये गये कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का सम्पादन करेंगे।

7– बैंक खातों के संचालन हेतु मन्त्री/प्रबन्धक के साथ कोषाध्यक्ष भी हस्ताक्षर करेगा।

25– उपाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार :–.

अध्यक्ष के निर्देशानुसार उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 866875

26— मंत्री/प्रबन्धक के कार्य एवं अधिकार :—

1— मंत्री—प्रबन्धक संस्था के सामान्य प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संचालन करेगा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करेगा एवं व्यवस्थित रखेगा।

2— बैंक खातों के संचालन हेतु चैकों पर हस्ताक्षर करेगा एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर करायेगा।

3— संस्था की चल—सम्पत्ति की संस्था के हित में तथा संस्था के नाम से प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति पर आवश्यकतानुसार नियोजन करेगा।

4— संस्था के हित के लिए दान स्वीकार करेगा।

5— संस्था के सदस्यों की नामावली रखेगा और संस्था के आय—व्यय सम्बन्धी पंजिकायें व्यवस्थित करेगा।

6— समय—समय पर समिति द्वारा सौंपे गये कार्य करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 866876

7– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक कार्य सूची भेजते हुए बुलायेगा।

8– बजट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर रूपये 1000 तक के व्यय की स्वीकृति देगा। ऐसे व्यय का विवरण प्रबन्धकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

9– प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा।

27– इस ट्रस्ट के संचालन हेतु निम्नांकित बोर्ड आफ ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे, जो ट्रस्ट के नियमानुसार 05 वर्ष तक कार्य करेंगे। उसके पश्चात ट्रस्ट के संविधान में वर्णित निर्वाचन के अनुसार पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 866877

क्र.सं.	नाम	पिता/ पति का नाम	पद	पता
1.	श्री हरीश चन्द्र रावत	स्व. श्री मुन्नालाल रावत	अध्यक्ष	सरफयाना, तालबेहट,ललितपुर
2.	श्रीमती बिन्दु रावत	श्री हरीश चन्द्र रावत	मंत्री / प्रबन्धक	,, ,,
3.	श्री सीताराम मिश्रा	,, भैयालाल मिश्रा	उपाध्यक्ष	फीगंज, उज्जैन, म.प्र.
4.	,, सन्तोष कौशिक	स्व. श्री सुखनन्दन कौशिक	कोषाध्यक्ष	तालबेहट, ललितपुर
5.	,, अनिल दुबे	श्री जगदीश दुबे	सदस्य	बार–तालबेहट, ललितपुर
6.	,, लखनलाल दीक्षित	,, रामसेवक दीक्षित	,,	सरफयाना, तालबेहट,ललितपुर
7.	,, श्रीराम दुबे	,, भागीरथ दुबे	,,	करमई, ललितपुर
8.	,, आशीष कुमार बिलगैंया	,, राममनोहर बिलगैया	,,	के0 के0 पुरी, झाँसी
9.	,, अनिल कुमार त्रिपाठी	,, गोविन्ददास त्रिपाठी	,,	मड़ावरा, ललितपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 866878

तहरीर दिनांक 5 अप्रैल सन 2018 है।

ड्राफ्टकर्ता

(शालिकराम चतुर्वेदी)

HSawat

ग. मानसिंह यादव एडवोकेट न्य० तोकरेगी

ग. शालिकराम चतुर्वेदी एडवोकेट S/o श्री बाबूलाल चतुर्वेदी

HSawat